मधु बगड़ [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज उ० प्र० - 267/2009
5-12-17 मधु कंवर [illegible] [illegible] देवी अनिल कुमार [illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। साक्ष्य वादिया में वादिया का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र व वादिया गवाह में भक्ताराम, अनिल कुमार, रामेश्वर लाल के लिखित शुदा शपथ पत्र पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादिया ने फेहरिस्त-तीन दस्तावेजात पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किये गये। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14-12-2017 को पेश हो। [signature]
14-12-17	पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित/ पीठा. [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-12-17 को पेश हो। [signature]
18.12.17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। प्रकरण में वकील वादिया की बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादिया ने अवगत कराया कि ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2215 रकबा 0.06 हैक्टर, 2216 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 हैक्टर की वादिया खरीदशुदा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त सम्पूर्ण भूमि को वादिया ने दिनांक 17.12.2008 को शिवनाथ, प्रहलाद, भक्ताराम पुत्रगण रूड़ाराम एंव बाली बेवा रूड़ाराम से जरिये विक्रय लेख खरीद किया था तब से वादिया पूर्णरूपेण काबिज काश्त निर्विघ्न रूप से चली आ [initials]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु० नं० – 267/2009	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

रही है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का एंव अन्य किसी दीगर का ताल्लुक किसी भी किस्म का नहीं है। उक्त भूमियों की सुरक्षार्थ भूमि के पश्चिमी सींव पर मिट्टी का कच्चा डोल व तारबन्दी लगा रखी है। जिससे अन्य दीगर अवैध रूप से प्रवेश नहीं कर सके तथा ना ही पशु मवेशी प्रवेश कर फसल को नुकसान पहुँचा सके। प्रतिवादीगण 1 ता 10 अत्यधिक बदमाश एंव झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। जो वादिया की उक्त कब्जाशुदा भूमि के पश्चिमी दिशा के पड़ौसी काश्तकार है जिन्होनें वादीया को हैरान परेशान करने के लिए आपस में साजकर एक अवैध एंव नाजायज गिरोह बना रखा है जो ताकत के बल पर अतिक्रमण कर हड़पना चाहते है। दिनांक 3.10.2009 को वादिया की उक्त कृषि भूमि पर लगी मिट्टी की डोल व तारबन्दी को उखाड़कर अवैध प्रवेश कर वादीया की उक्त भूमि को अतिक्रमण कर हड़पने व अवैध पशु मवेशियों को प्रवेश कराकर नुकसान पहुँचाने पर आमादा होने से वादिया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारिणी होने से न्यायहित में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु वादपत्र वादिया द्वारा पेश किया गया है। वकील वादिया ने वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकील वादिया की बहस पर सगौर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065, नक्शा ट्रेस नया व पुराना, विक्रय लेख दिनांक 17.12.08 की फोटो प्रति, न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम सं. 2 श्रीमाधोपुर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 308/2009 में दिनांक 24.11.2012 को पारित निर्णय की प्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादिया के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से दर्ज रिकार्ड हुई है।

Gr

मधु बनाम श्रीप्रकाश वगैरा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
मु० - 267/2009

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	जिस पर वादिया कय के उपरान्त से काबिज काश्त है। वकील वादिया ने स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है। साक्ष्य वादिया में वादिया व गवाहान् में भक्ताराम, अनिल कुमार व रामेश्वर लाल के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी वादपत्र की पुष्टि होती है एंव वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है।
	अतः वकील वादिया द्वारा पेश वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2215 रकबा 0.06 हैक्टर, 2216 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 हैक्टर में वादिया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग– उपभोग में कसी प्रकार की मजाहमत ना स्वंय करें एंव ना ही दीगर से करावें। वादीया की उक्त भूमि पर लगी सींवडोल व तारबन्दी को तोड़कर अवैध रूप से अतिकमण कर मौका सूरत तब्दील नहीं करें ना दीगर से करावें। वादीया को उसकी खरीदशुदा भूमि से जबरन ताकत के बल पर अवैध रूप से बेदखल नहीं करें एंव ना दीगर से करावें। इसी अनुसार डिकी मूर्तिब हो। मुताबिक डिकी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।
	यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(ब्रह्म लाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)